

11/7/2012 सन्तरा - स्वामीणी



आज्ञा पत्र

पत्रादिपत्राद्वारा राजकीय इन्फोर्मेशन एक्ट 2007 के अन्तर्गत राजकीय सूचनाओं के प्रकाशन पर ध्यान दिया जा रहा है। सूचनाओं का प्रकाशन तत्काल ही। पत्रादि 29.1.2012 को प्रकाशित।



29-1-20

बार-बार आवाज दिवाई गई। अधीकार एवं अधीकार के अधिकार कोई हाजिर नसी कामे। अतः अदम हाजरी एवं अदम पैरकी कायदा होने से अधीकार व कार्रवाही की जाती है। पत्राद्वारा बाद तरीक तकमील कार्रवाही दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया।

Handwritten signature

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अधीन अधिकारी सीकर (विश्व सुन्दरी)